

प्रपत्र-2.1

भाग- ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान Extension of Bagalkot-Koti Gwakhet Pukhuli Motor Road to Benitaal.

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - उत्तराखण्ड
 - ii) जिला - अस्सी
 - iii) वन प्रभाग - बड़ीनाम वन प्रभाग, गोपेश्वर।
 - iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन मृगी का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) - 3.606 है।
 - v) वन की कानूनी स्थिति - वन पंचाप्त
 - vi) इरियाली का घनत्व - 0.6 ECO CLASS V
 - vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परियोजना की विवाही वृक्षों की परियोजना (सलाना की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफआरएल० - ४ मी० पर परियोजना गी रोलन किए जाए
 - viii) मुकाब्ले के लिए वन क्षेत्र की संवेदनी शीलता पर संकेत टिप्पणी। - पट-बैगानिक रिपोर्ट हांसान
 - ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमति दूरी -
 - x) क्या कामे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव आधाराण्य जैवगणक रिजर्व, वाष्प रिजर्व, बाढ़ी कारीडार आदि का भाग है (यदि हो, क्षेत्र का बीसा और प्रमुख वन्य जीव वार्डों की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)
 - xi) क्या क्षेत्र में कार्बनिटी और प्राणिजाति की दुर्लभ / संकटापन / विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है पर्दि हों/ तो तत्सम्बन्धी बीसा है। - नहीं
 - xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हो तो तत्सम्बन्धी बीसा राष्ट्रीय प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पर के साथ यदि अपेक्षित हो, या
- 8- क्षेत्रका एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन मृगी आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और ज्युनतम है। यदि नहीं, तो जावे गए विकल्पों के बीसा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/ नहीं) यदि हो, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यापा तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी कहे दें।

प्रस्तावित वन भाग-प्रस्ताव है।

— नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी मू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक मू-खण्ड का आकार। — संलग्न
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — पुस्तक में संबंध
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाबा आदि। — पुस्तक में संलग्न
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। — संलग्न
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सामन्थित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। — संलग्न
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्न
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल ₹ 03000/-
जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 514792/-
- i. जिला का वन क्षेत्र। — 218 मामडे, 826.45 घै.
- ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। — 30/06/2017
- iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण —
- (क) दफ्तर के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि — 462.94 घा
- (ख) वनेत्तर भूमि पर — 497.57 घा
- (ग) वन भूमि पर — 497.57 घा
- 13- प्रताव को स्वीकृत करने अथवा प्रताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — जनाई में संटुष्टि की जाती है।

दिनांक 09/07/2017

स्थान गोविंदपुर

हस्ताक्षर

नाम (रन. रन. पाठ्य)

प्रधानमंत्री वनप्रस्तावी
परकारा मंहित्र वन प्रधान पौष्टि
(क्रोकी)